(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

<u>समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 1521/1990</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड

विरुद्ध

<u>उत्तरदातागण</u> : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय तथा आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 07 अप्रैल 2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 1521/1990

याचिकाकर्ता : मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरदातागण : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकलपीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित: श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

श्री प्रदीप सक्सेना, अधिवक्ता वास्ते उत्तरदातागण

दिनांक 07 अप्रैल 2011 को पारित

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्प्रेषण रिट जारी किए जाने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा उत्तरदाता द्वारा पारित आदेश क्रमांक एम.पी. /1681/पी.एफ.-आई-7 दिनांक 24.04.1990 (अनुलग्नक –**A**)

को अभिखंडित किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आदेश द्वारा उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के अधीन कार्यरत समस्त पात्र कर्मचारियों के संबंध में देय भविष्य निधि की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करे, अन्यथा देय राशि का निर्धारण कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1952') की धारा 7-**A** के अंतर्गत किया जाएगा।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसका विधिवत गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। याचिकाकर्ता कंपनी साझेदारी फर्म एम/एस मोहनलाल भगवतीप्रसाद की उत्तराधिकारी-हिताधिकारी है। अतः याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ अधिनियम, 1915 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1915') की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रतिष्ठान है।याचिकाकर्ता ग्राम खापरी, कुम्हारी, जिला दुर्ग में स्थापित आसवनी (डिस्टिलरी) में स्पिरिट के निर्माण का कार्य कर रही है। उत्तरदाता द्वारा दिनांक 22.05.1989 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक –**C**) जारी किया गया, जिसमें अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाते हुए यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्यों न याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 एवं 14-**A** के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाए।याचिकाकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 12.10.1989 को (अनुलग्नक –**D**) प्रस्तुत किया तथा अधिसूचना क्रमांक **GSR**-346 दिनांक 07.03.1962 पर भरोसा करते हुए अधिनियम एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

योजना के लागू किये जाने पर प्रश्न उठाया। इसी मध्य, एम.पी. संख्या 1379/1981 में दिनांक 22.11.1989 को एक निर्णय पारित हुआ, जिसमें वही आक्षेपित प्रश्न निस्तारित किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय को उत्तरदाता के संज्ञान में लाने हेतु दिनांक 22.01.1990 को एक अतिरिक्त उत्तर प्रस्तुत किया (अनुलग्नक –**E**)।तथापि, उत्तरदाता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर विचार किए बिना ही आक्षेपित आदेश दिनांक 24.04.1990 (अनुलग्नक –**A**) पारित कर यह घोषित किया कि अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान पर लागू होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के प्रावधानों पर पहले ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एम.पी. संख्या 1379/1981 में विचार कर उन्हें निस्तारित किया जा चुका है या नहीं। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया था कि संबंधित प्रतिष्ठान दिनांक 07.03.1962 की अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है तथा यह भी कि मदिरा का भंडारण (वेयरहाउसिंग) केवल एक सहायक गतिविधि नहीं कही जा सकती, बल्कि यह एक आवश्यक एवं अनिवार्य गतिविधि है, जिसे उक्त अधिसूचना से स्पष्ट रूप से अपवर्जित किया गया है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपभोग हेतु उपयुक्त मदिरा की बोतलबंदी (बॉटलिंग) से संबंधित गतिविधि भी ऐसी गतिविधि नहीं है, जो उक्त अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित हो। श्री श्रीवास्तव ने यह भी तर्क दिया कि आसवनी में

निर्मित रेक्टिफाइड स्पिरिट को तत्पश्चात डी-1 लाइसेंसधारी द्वारा उत्पाद शुल्क गोदामों में लाया जाता है, जहाँ रेक्टिफाइड स्पिरिट को उपभोग योग्य बनाने हेतु उसका "रिडक्शन" किया जाता है।डिस्टिलरी एवं वेयरहाउस नियमों में परिभाषित "रिड्यूसिंग" का तात्पर्य उच्च अल्कोहल शक्ति वाली स्पिरिट को जल मिलाकर निम्न अल्कोहल शक्ति में परिवर्तित करना है, जिसे सामान्यतः डायल्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार रिड्यूस की गई स्पिरिट में रंग एवं एसेंस मिलाए जाते हैं, जिसे तत्पश्चात विभिन्न मात्राओं में बोतलबंद कर सील किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ही वह उपभोग के योग्य बनती है। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण, अवैध तथा विधि के प्रतिकूल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का प्रतिष्ठान विभिन्न प्रकार की मदिरा/अल्कोहल के निर्माण के कार्य में संलग्न है। याचिकाकर्ता प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट गतिविधियों में से एक के अंतर्गत आती हैं, अर्थात् स्पिरिट का आसवन एवं परिष्करण (जो औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल के अंतर्गत नहीं आता) तथा स्पिरिट का ब्लेंडिंग उद्योग। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का प्रतिष्ठान जी.एस.आर. क्रमांक 1688 दिनांक 15.10.1963 के माध्यम से अनुसूची शीर्षक "स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन" के अंतर्गत आच्छादित है, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विवाद का विषय नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि वेयरहाउस में किया जाने वाला

कार्य अधिनियम, 1952 की धारा 2(आई.सी.) में परिभाषित निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि वेयरहाउस में मदिरा में जल, रंग तथा एसेंस मिलाया जाता है तथा उसे बोतलों में भरकर सील किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात मदिरा उपभोग योग्य बन जाती है, जिसे विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय एवं आपूर्ति किया जाता है।

5. इस याचिका में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या वह प्रतिष्ठान, जो मदिरा के आसवन की गतिविधि में संलग्न है तथा जिसमें जल, रंग एवं एसेंस मिलाकर उसे बोतलों में भरकर सील किया जाता है, और जो उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात उपभोग योग्य बन जाती है, "स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन तथा स्पिरिट ब्लेंडिंग उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. जी.एस.आर. क्रमांक 1605 दिनांक 26.09.1963 के माध्यम से, जो दिनांक 31.10.1963 से प्रभावशील हुआ, "स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन (जो औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल के अंतर्गत नहीं आता) तथा स्पिरिट ब्लेंडिंग उद्योग" शब्दों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची–**I** में, अधिनियम की धारा 2(**i**) तथा धारा 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर भी लागू किए गए हैं, जो किसी भी वस्तु के क्रय, विक्रय अथवा भंडारण के कार्य में संलग्न हैं, जिनमें निर्यातकों, आयातकों, विज्ञापनकर्ताओं, कमीशन एजेंटों एवं ब्रोकरों तथा कमोडिटी एवं स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं; परंतु किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित बैंकों अथवा वेयरहाउसों को इसमें सम्मिलित नहीं किया

गया है। उक्त प्रावधानों को जी.एस.आर. क्रमांक 346 दिनांक 07.03.1962 द्वारा दिनांक 30.04.1962 से लागू किया गया।

7. विवाद के सम्यक् एवं उचित परीक्षण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। अधिनियम, 1952 की धारा 2(i) में "उद्योग" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जो निम्नानुसार है—

"2(i) 'उद्योग' से तात्पर्य उस किसी भी उद्योग से है, जो अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट है, तथा इसमें वह कोई अन्य उद्योग भी सम्मिलित है, जिसे धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़ा गया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2(i-c) में "निर्माण" अथवा "निर्माण प्रक्रिया" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है—

"2(i-ग) 'निर्माण' अथवा 'निर्माण प्रक्रिया' से तात्पर्य किसी भी ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा पदार्थ को उसके उपयोग, विक्रय, परिवहन, आपूर्ति अथवा निपटान की दृष्टि से बनाया जाए, परिवर्तित किया जाए, मरम्मत की जाए, अलंकृत किया जाए, परिष्कृत किया जाए, पैक किया जाए, तेल लगाया जाए, धोया जाए, साफ किया जाए, तोड़ा जाए, ध्वस्त किया जाए अथवा अन्य किसी प्रकार से उसका उपचार या अनुकूलन किया जाए।"

9. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) में अधिनियम की लागूता का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है—

"1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन—

xxx **xxx** **xxx**

xxx **xxx** **xxx**

(3) धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह अधिनियम—

(क) प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होगा, जो किसी ऐसे उद्योग में संलग्न कारखाना हो, जो अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट है और जिसमें बीस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों; तथा

1. (ख) किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठान पर, जिसमें बीस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्ग पर, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे: परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, अपनी ऐसी मंशा की कम से कम दो माह की सूचना देने के पश्चात, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे किसी प्रतिष्ठान पर भी लागू कर सकती है, जिसमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट बीस से कम संख्या में व्यक्ति नियोजित हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इस धारा की उपधारा (3) अथवा धारा 16 की उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को, चाहे इस प्रयोजनार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन पर अथवा अन्यथा, यह प्रतीत होता है कि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत ने इस अधिनियम के प्रावधानों को उस प्रतिष्ठान पर लागू किए जाने पर सहमति व्यक्त की है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे प्रतिष्ठान पर, ऐसी सहमति की तिथि से अथवा उस सहमति में विनिर्दिष्ट किसी पश्चातवर्ती तिथि से, लागू कर

सकता है।

(5) जिस किसी प्रतिष्ठान पर यह अधिनियम लागू हो जाता है, वह इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी समय उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम हो जाए, इस अधिनियम द्वारा शासित बना रहेगा।"

10. अधिनियम, 1915 की धारा 14 निम्नानुसार है—

"14. आसवनशालाओं एवं वेयरहाउसों की स्थापना अथवा लाइसेंसिंग—उत्पाद शुल्क आयुक्त—

(क) ऐसी आसवनशाला की स्थापना कर सकता है, जिसमें धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस के अधीन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, स्पिरिट का निर्माण किया जा सके;

(ख) ऐसी किसी भी आसवनशाला को बंद (विस्थापित) कर सकता है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी आसवनशाला अथवा ब्रुअरी के निर्माण एवं संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान कर सकता है;

(घ) ऐसे वेयरहाउस की स्थापना कर सकता है अथवा उसके लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है, जिसमें किसी भी मादक पदार्थ को शुल्क के भुगतान के बिना जमा एवं सुरक्षित रखा जा सके, तथापि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शुल्क के भुगतान के अधीन; तथा

(ड.) ऐसी किसी भी वेयरहाउस को बंद कर सकता है।"

11. याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में सम्मिलित विवाद का प्रश्न पूर्व में ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा "सेंट्रल इंडिया एक्साइज ट्रेडर्स, माउंट रोड एक्सटेंशन, नागपुर एवं अन्य बनाम क्षेत्रीय भविष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निधि आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं अन्य"[1] के प्रकरण में निराकृत किया जा चुका है।

12. उत्तरदाता के समक्ष विभाग का प्रकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था—**"(iv)** ... वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिष्ठान 'व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' के अंतर्गत आच्छादित हो, बल्कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिष्ठान अनुसूचित शीर्ष 'आसवन एवं परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) द्वारा स्पिरिट का निर्माण' के अंतर्गत, दिनांक 15.10.1963 की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 1688 के अनुसार आच्छादित है। अतः प्रतिष्ठान द्वारा उद्धृत अधिसूचना का वर्तमान प्रकरण में कोई अनुप्रयोग नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उत्तरदाता द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को अआक्षेपित पाया गया—

"(i) यह आक्षेपित नहीं है कि प्रतिष्ठान एम/एस छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी (एम/एस मोहनलाल भगवतीप्रसाद), अनुसूचित शीर्ष 'स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन' के अंतर्गत आच्छादित प्रतिष्ठान है।

(ii) यह भी आक्षेपित नहीं है कि उक्त प्रतिष्ठान गोदामों का संचालन कर रहा है तथा उसने राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। इन गोदामों में प्रतिष्ठान से तथा एक अन्य डिस्टिलरी से स्पिरिट प्राप्त की जाती है, जिसमें पानी, रंग एवं एसेंस मिलाकर उसे बोतलों में भरा जाता है, सीलबंद किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है। तत्पश्चात इन बोतलों की आपूर्ति विक्रय हेतु खुदरा विक्रेताओं को की जाती है।

---

[1] एम्.पी. क्रमांक 1379/1981, निर्णय दिनांक 22.11.1989

(iii) यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि प्रतिष्ठान द्वारा इन गोदामों में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियोजित किया गया है तथा उन्हें देय वेतन की प्रविष्टि प्रतिष्ठान के 'वेतन खाते' में की जाती है।"

14. उत्तरदाता-आयुक्त ने आगे यह अवलोकन किया कि प्रतिष्ठान द्वारा यह बताया गया है कि डिस्टिलरी में निर्मित स्पिरिट को गोदामों में लाया जाता है, जहाँ उसमें पानी, रंग एवं एसेंस मिलाया जाता है तथा तत्पश्चात उसे बोतलों में भरकर सीलबंद किया जाता है। इसके उपरांत उक्त मदिरा उपभोग योग्य हो जाती है तथा अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग हेतु विक्रेताओं को विक्रय/आपूर्ति की जाती है।यह भी अवलोकित किया गया कि प्रतिष्ठान ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले गोदामों को किराये पर लिया हुआ है तथा उसके अपने निजी गोदाम भी हैं और इन सभी गोदामों में यही कार्य किया जाता है, अर्थात् मदिरा में पानी, रंग एवं एसेंस का मिश्रण किया जाना तथा उसके पश्चात बोतलों में भरकर सीलबंद किया जाना। यह किया गया कार्य अधिनियम, 1952 की धारा 2(आईसी) में परिभाषित 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदन के अनुसार, याचिकाकर्ता का यह कथन था कि मदिरा डिस्टिलरी से प्राप्त की जाती है, उसमें पानी, रंग एवं एसेंस मिलाया जाता है तथा तत्पश्चात उसे बोतलों में भरकर खुदरा विक्रेताओं को विक्रय हेतु आपूर्ति/निर्गत किया जाता है।

16. उत्तरदाता आयुक्त ने यह निर्णय दिया कि सेंट्रल इंडिया एक्साइज ट्रेडर्स प्रकरण का निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण वर्तमान मामले में पृथक है, क्योंकि उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने

इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था कि संबंधित प्रतिष्ठान अनुसूचित शीर्ष 'स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन तथा स्पिरिट मिश्रण उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। आयुक्त ने यह भी अवलोकन किया कि सेंट्रल इंडिया एक्साइज ट्रेडर्स प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या वहाँ का याचिकाकर्ता-प्रतिष्ठान उस अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, जिसके द्वारा 'व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' को अधिनियम, 1952 के क्षेत्राधिकार में लाया गया था।

17. सेंट्रल इंडिया एक्साइज ट्रेडर्स प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया—"23. इस प्रकार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस गलत आधार पर कार्यवाही की कि याचिकाकर्ता अन्य गतिविधियों के साथ-साथ मदिरा के क्रय-विक्रय में संलग्न है, जबकि जैसा कि उपर प्रदर्शित किया गया है, यह न तो लाइसेंस की शर्तों से और न ही राज्य अधिनियम के प्रावधानों से सिद्ध होता है। अतः क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अपनाया गया तर्क एवं आधार उनके इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए सुदृढ़ नहीं है कि याचिकाकर्ता का प्रतिष्ठान अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित है।आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुँचने में भी त्रुटिपूर्ण रहे कि गोदाम व्यवस्था याचिकाकर्ता की केवल एक सहायक (आनुषंगिक) गतिविधि है। हमने राज्य अधिनियम की प्रासंगिक योजना तथा याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध लाइसेंस की शर्तों का परीक्षण किया है और यह पाया है कि उक्त लाइसेंस मूलतः मदिरा की बोतलबंदी करने तथा उसे राज्य सरकार के स्वीकृत परिसरों में गोदामबद्ध कर खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति करने के लिए है। अतः मदिरा का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गोदामकरण केवल एक सहायक गतिविधि नहीं कहा जा सकता। यह एक अनिवार्य गतिविधि है, जिसे, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, अधिसूचना से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। मदिरा को आपूर्ति हेतु उपयुक्त बनाने से संबंधित अन्य गतिविधियाँ भी, हमारे मतानुसार, अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित गतिविधियाँ नहीं हैं।"

18. अधीनस्थ प्राधिकरण का यह निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता-उद्योग उस अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, जिसके माध्यम से 'व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' को अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। तथापि, उत्तरदाता-आयुक्त ने याचिकाकर्ता-प्रतिष्ठान को अनुसूचित शीर्ष 'स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन (औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल को छोड़कर) तथा स्पिरिट मिश्रण उद्योग' के अंतर्गत लाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. डिस्टिलेशन (आसवन)' शब्द को वेब्स्टर की एन्साइक्लोपीडिक अनअब्रिज्ड डिक्शनरी ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है— "डिस्टिलेशन, संज्ञा— 1. किसी द्रव का वाष्पीकरण अथवा उड़न और तत्पश्चात उसका संघनन, जैसे कि जब पानी को रिटॉर्ट में उबाला जाता है और भाप को ठंडे पात्र में संघनित किया जाता है।

2. किसी पदार्थ का शुद्धिकरण अथवा सांद्रण, उसमें निहित सार या वाष्पशील गुणों की प्राप्ति, अथवा ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से एक पदार्थ को दूसरे से पृथक करना।

3. आसवन से प्राप्त उत्पाद; डिस्टिलेट।

4. आसवन की क्रिया या तथ्य अथवा आसवित होने की अवस्था।"

20. चैम्बर्स 21वीं शताब्दी शब्दकोश में 'रेक्टिफ़ाई (**Rectify**)' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है— "रेक्टिफ़ाई—

(क) किसी त्रुटि आदि को ठीक करना अथवा सुधारना;

(ख) किसी वस्तु को समायोजित करना।

2. (रसायन शास्त्र) बार-बार आसवन की प्रक्रिया द्वारा (उदाहरणार्थ, अल्कोहल का) शुद्धिकरण करना।

3. (विद्युत) प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना।

4. (गणित) किसी वक्र अथवा चाप की लंबाई का निर्धारण करना।

रेक्टिफ़ायबल— विशेषण;

रेक्टिफ़िकेशन— संज्ञा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह शब्द 14वीं शताब्दी का है तथा लैटिन भाषा के रेक्टिफ़िकारे से व्युत्पन्न है, जो रेक्टस (अर्थात् 'सीधा' या 'सही') और फेसेरे (अर्थात् 'बनाना') से मिलकर बना है।"

21. कॉनसाइस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 'रेक्टिफ़ाइड स्पिरिट' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है— "रेक्टिफ़ाइड स्पिरिट, संज्ञा— एथेनॉल (95.6 प्रतिशत) तथा जल का वह मिश्रण, जो आसवन की प्रक्रिया द्वारा एक एजियोट्रोप के रूप में निर्मित किया जाता है।"

22. उक्त शब्दकोश में 'एज़ियोट्रोप शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है—"एज़ियोट्रोप, संज्ञा— दो द्रवों का ऐसा मिश्रण, जिसका उबालांक (क्वथनांक) तथा संघटन आसवन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है।"

23. उपर्युक्त परिभाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता गोदामों में उपर्युक्त रूप से स्पिरिट के आसवन एवं परिशोधन (रेक्टिफ़िकेशन) की गतिविधियों में संलग्न था, जो 'स्पिरिट का आसवन एवं परिशोधन (औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल को छोड़कर) तथा स्पिरिट मिश्रण उद्योग' के शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, अथवा वह उक्त उद्योग का मात्र एक अंग/भाग था।

24. सर शादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर, उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य[2] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि— **"**मदिरा की बोतलबंदी उसका विनिर्माण तथा आपूर्ति प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. मध्यप्रदेश मिनरल इंडस्ट्री एसोसिएशन, नागपुर बनाम क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)[3], लालापा लिंगप्पा एवं अन्य बनाम लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड[4] तथा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम पीयरलेस जनरल फ़ाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य[5]— जिन प्रकरणों पर श्री श्रीवास्तव ने भरोसा किया है— वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते, क्योंकि वे सामाजिक कल्याण विधायन के उद्देश्य से संबंधित हैं। यद्यपि अधिनियम, 1952 भी निर्विवाद रूप से एक सामाजिक कल्याणकारी विधायन है।

---

[2] (1998) 8 एससीसी 428
[3] ऐआईआर 1960 एससी 1068 (वी 47 192)
[4] ऐआईआर 1981 एससी 852
[5] ऐआईआर 1987 एससी 1023

26. उत्तरदाता ने अपने इस तर्क के समर्थन में एक निर्णय पर निर्भर किया है कि गोदाम प्रतिष्ठान का ही एक भाग है, जो उसके अनुसार अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I के अंतर्गत आता है।

27. यह प्रश्न इस याचिका में निर्णयित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया है कि क्या संबंधित गोदाम याचिकाकर्ता के उस प्रतिष्ठान का ही भाग था, जो उपर्युक्त रूप से स्पिरिट के परिशोधन एवं आसवन की गतिविधियों में संलग्न था। अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) एक सक्षमकारी उपबंध है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम, 1952 के प्रावधान प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होंगे, जो किसी कारखाने के रूप में अनुसूची-I में निर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न हो तथा जिसमें बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. यह अआक्षेपित है कि स्पिरिट्स के आसवन एवं रेक्टिफिकेशन (जो औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल के अंतर्गत नहीं आते) तथा ब्लेंडिंग से संबंधित उद्योग, अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट है। अतः उत्तरदाता-आयुक्त पर यह दायित्व है कि वह प्रथम दृष्टया, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, यह निर्णय करे कि संबंधित प्रतिष्ठान अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट स्पिरिट्स के आसवन एवं रेक्टिफिकेशन की परिभाषा के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, तथा तत्पश्चात यह भी निर्धारित करे कि क्या उक्त वेयरहाउस उस प्रतिष्ठान का अभिन्न अंग है।

29. उपर्युक्त विश्लेषण तथा यहाँ-ऊपर उल्लिखित कारणों के दृष्टिगत, उत्तरदाता द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.04.1990 (अनुबंध-ए) को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को उत्तरदाता-आयुक्त के पास इस

निर्देश सहित प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट स्पिरिट्स के आसवन एवं रेक्टिफिकेशन (जो औद्योगिक एवं पावर अल्कोहल के अंतर्गत नहीं आते) तथा स्पिरिट्स के ब्लेंडिंग उद्योग की गतिविधियों में याचिकाकर्ता की संलग्नता के संबंध में, उपर्युक्त अवलोकनों के आलोक में, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपने निष्कर्ष अभिलेखित करे।

30. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24.04.1990 को पारित किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.06.1990 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था, यह वांछनीय है कि उत्तरदाता-आयुक्त उपर्युक्तानुसार प्रकरण का नवीन सिरे से निर्णय यथाशीघ्र करे, अधिमानतः आज से चार माह की अवधि के भीतर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

32. वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by:</u> Adv. Navdeep Agrawal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur